



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक १०]

गुरुवार, मार्च १२, २०२६/फाल्गुन २१, शके १९४७

[पृष्ठ ७, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १२ मार्च, २०२६ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XVII OF 2026.

A BILL

to repeal certain enactments in the state of maharashtra.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १७ सन् २०२६।

महाराष्ट्र राज्य में कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य सत्तहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है:—

- यह अधिनियम महाराष्ट्र निरसन अधिनियम, २०२६ कहलाए। संक्षिप्त नाम।
- इससे संलग्न अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ, एतद्वारा, कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

व्यावृत्तिया।

३. (१) इस अधिनियम द्वारा निरसित कई अधिनियमितायाँ,-

(क) कोई अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू हुई थी, निगमित करती थी या उसको निर्देशित करती थी, को प्रभावित नहीं करेगी।

(ख) पहले से ही की गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यकरण प्रभाव या परिणामों को, या पहले से ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व को, या उसके संबंध में कोई उपाय या कार्यवाही, या किसी ऋण, दण्ड, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग से कोई मुक्ति या निर्वहन, या पहले से ही दी गई कोई क्षतिपूर्ति, या किसी पिछले कार्य या वस्तु का सबूत, को प्रभावित नहीं करेगी।

(ग) विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित क्षेत्राधिकार, या अभिवचन, अध्ययन या प्रक्रिया के क्रम या विद्यमान उपयोग, प्रथा, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगी, इसके बावजूद भी कि, उसे इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए किसी अधिनियम के माध्यम से किसी रीत्या से पुष्टि करता है या मान्यताप्राप्त या उसके द्वारा उत्पन्न किया गया है ;

(घ) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियम के निरसन से किसी भी ऐसे अधिनियम, क्षेत्राधिकार, पद, प्रथा, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार प्रतिबंध, छुट, उपयोग, अध्ययन, प्रक्रिया या अन्य मामले या वस्तु को पुनर्जीवित या बहाल करने से जो वर्तमान में अस्तित्व में या लागू नहीं है को प्रभावित नहीं करेगी।

(२) इस अधिनियम द्वारा अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन के किसी भी प्राधिकरण द्वारा उसके संबंध में की गई या की जानेवाली लेखापरीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, जांच पड़ताल या किसी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी लेखापरीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, जांच पड़ताल या कार्यवाई की जा सकती है और जारी रखी जा सकती है मानो उक्त अधिनियम इस अधिनियम द्वारा निरस्त नहीं किए गए हों।

(३) महाराष्ट्र सामान्य खंड (सन् १९०४ का एक) की धारा ७ के उपबंध इस अधिनियम द्वारा सन १९०४ का १।
किए गए निरसनों पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वे बॉम्बे अधिनियम द्वारा किए गए हों।

प्रथम अनुसूची

(देखिए धारा २)

भाग-क

विनियमन

अनु. क्र. (१)	वर्ष (२)	क्र. (३)	संक्षिप्त नाम (४)
१	१८२५	११	बंगाल जलोढ़ और बाढ़ विनियमन, १८२५।
२	१८२७	५	बंगाल कुर्क की गई आस्तियां प्रबंधन विनियमन, १८२७।
३	१८२७	५	ऋण की अभिस्वीकृति, ब्याज, बंधक विनियमन १८२७।

भाग-ख

बंबई अधिनियम

अनु. क्र. (१)	वर्ष (२)	क्र. (३)	संक्षिप्त नाम (४)
१	१८७७	१४	ब्रोच और कायरा भारित संपदा अधिनियम, १८७७।
२	१८७८	५	बॉम्बे अबकारी अधिनियम, १८७८।
३	१९२९	२	बोस्टल विद्यालय अधिनियम, १९२९।
४	१९३५	२९	बॉम्बे आपराधिक प्रक्रिया (निर्वाचन अपराधों) संशोधन अधिनियम, १९३५।
५	१९३६	२०	महाराष्ट्र अफ्रीम धुम्रपान अधिनियम।
६	१९३९	२६	बॉम्बे चारा एवं अनाज नियंत्रण अधिनियम, १९३९।
७	१९४२	३०	बॉम्बे कपास नियंत्रण अधिनियम, १९४२।
८	१९४६	२०	महाराष्ट्र विद्युत (विशेष उर्जा) अधिनियम।
९	१९४६	२७	बॉम्बे कपास (सांखिकी) अधिनियम, १९४६।
१०	१९४७	३४	बॉम्बे न्यायनिर्णय कार्यवाही (अंतरण और निरंतरता) अधिनियम, १९४७।
११	१९४७	५८	बॉम्बे राशनिंग (प्रारंभिक एवं निरंतरता) उपाय अधिनियम, १९४७।
१२	१९४८	५९	बॉम्बे पशुरोग अधिनियम, १९४८।
१३	१९४८	७१	बॉम्बे बाल अधिनियम, १९४८।
१४	१९४९	४४	बॉम्बे शहर (भवन निर्माण कार्य प्रतिषेध) अधिनियम, १९४९।
१५	१९५१	२४	बॉम्बे वन्य पशु और वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, १९५१।
१६	१९५३	१७	गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि (स्थानीय प्राधिकरणों का संदान) अधिनियम, १९५३।
१७	१९५३	२९	बॉम्बे विस्थापित हित (पृथक्करण) मान्यकरण और पूरक अधिनियम, १९५३।
१८	१९५७	३	बॉम्बे नगर योजना स्किम (बॉम्बे शहर दो, तीन और चार (माहिम क्षेत्र) विधिमान्यकरण अधिनियम, १९५६।
१९	१९५७	५	महाराष्ट्र प्रभारित व्यय अधिनियम, १९५७।
२०	१९५७	३९	बॉम्बे कोडे मारणे की प्रथा का उत्सादन अधिनियम, १९५७।
२१	१९५८	६९	बॉम्बे वजन और मापन (प्रवर्तन) अधिनियम, १९५८।
२२	१९५८	७८	न्यायिक अधिकारियों का संरक्षण (बॉम्बे राज्य का हैदराबाद और सौराष्ट्र क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, १९५८।
२३	१९५९	३९	कुष्ठरोगी (बॉम्बे एकीकरण) अधिनियम, १९५९।
२४	१९६०	२१	बॉम्बे सांविधिक निगम (प्रादेशिक पुनर्गठन) अधिनियम, १९६०।

भाग-ग

मध्य प्रांत और बरार अधिनियम

अनु. क्र. (१)	वर्ष (२)	क्र. (३)	संक्षिप्त नाम (४)
१	१९१५	२१	मध्य प्रांत और बरार उत्पाद शुल्क अधिनियम, १९१५।
२	१९१९	२	मध्य प्रांत और बरार मिलावट की रोकथाम अधिनियम, १९१९।
३	१९२९	८	मध्य प्रांत और बरार किशोर धूम्रपान अधिनियम, १९२९।
४	१९३६	३४	मध्य प्रांत और बरार राजमार्ग अधिनियम, १९३६।
५	१९४२	६	मध्य प्रांत और बरार सम्पत्ति में (कृषिभूमि तक विस्तार) हिंदू महीलाओं के अधिकार अधिनियम, १९४२।
६	१९४८	१३	मध्य प्रांत और बरार तपेदिक सैनितोरियम (भवनों का विनियमन) अधिनियम, १९४८।
७	१९४८	१७	मध्य प्रांत भूमि सुधार (कांस उन्मूलन) अधिनियम, १९४८।
८	१९५०	२४	मध्य प्रांत और बरार राजभाषा अधिनियम, १९५०।

भाग-घ

हैदराबाद अधिनियम

अनु. क्र. (१)	वर्ष (२)	क्र. (३)	संक्षिप्त नाम (४)
१	१३१३च	१	पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम।
२	१३२१च	१	रेलवे सरकारी सिंचाई स्रोत और अन्य सार्वजनिक भवन संरक्षण अधिनियम।
३	१३४३च	९	हैदराबाद बाल संरक्षण अधिनियम।
४	१३४७च	१	हिंदू विधवा विवाह अधिनियम।
५	१३५०च	१२	हैदराबाद कोर्ट ऑफ वाइर्स अधिनियम।
६	१३५१च	८	दिवाला अधिनियम।
७	१३५३च	९	सन् १९५३ फसली का भागेलस अनुबंध अधिनियम।
८	१३५८च	४३	वेट्टी और बेगार (प्रतिषेध) विनियमन १३५८, फसली।
९	१९५०	२९	हैदराबाद (न्यायनिर्णय और आदेशों की भाषा) अधिनियम, १९५०।
१०	१९५०	३५	हैदराबाद जिला अधिकारी (पदनाम परिवर्तन और संदर्भों का निर्माण) अधिनियम, १९५०।
११	१९५२	१२	हैदराबाद जागिरदार ऋण निपटान अधिनियम, १९५२।
१२	१९५२	३६	हैदराबाद श्रमिक आवास अधिनियम, १९५२।
१३	१९५२	४५	हैदराबाद कृषि सुधार निधि अधिनियम, १९५२।
१४	१९५३	७	निष्कांत सम्पत्ति हित (पृथक्करण) पूरक अधिनियम, १९५३।

१५	१९५४	२	हैदराबाद कृषि आय कर (सुचनाओं की विधिमान्यता) अधिनियम, १९५४।
१६	१९५६	२	हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, १९५५।
१७	१९५६	१६	हैदराबाद कृषि ऋणदाता राहत अधिनियम, १९५६।
१८	१९५६	२०	हैदराबाद स्थानिय सरकारी सेवा (राज्य सिविल सेवा के रूप में घोषणा) अधिनियम, १९५६।

भाग-ड

मध्य प्रदेश अधिनियम

अनु. क्र. (१)	वर्ष (२)	क्र. (३)	संक्षिप्त नाम (४)
१	१९५०	३७	मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय सेवा आयोग अधिनियम (एम.पी.), १९५०।
२	१९५३	५	मध्य प्रदेश भू-राज्यस्व के बकायों की तथा किराए की वसूली अधिनियम, १९५३।
३	१९५६	१८	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संस्था (पूनर्गठन और सूसुत्रता) अधिनियम, १९५६।

द्वितीय अनुसूची

(देखिए धारा २)

विनियोग अधिनियम

अनु- क्रमांक (१)	वर्ष (२)	क्र. (३)	संक्षिप्त नाम (४)
१	१९५०	३	बॉम्बे विनियोग अधिनियम, १९५०।
२	१९५०	५१	बॉम्बे (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५०।
३	१९५१	४	बॉम्बे विनियोग अधिनियम, १९५१।
४	१९५१	५	बॉम्बे (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५१।
५	१९५१	३५	बॉम्बे (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५१।
६	१९५२	१	बॉम्बे (प्रथम अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५२।
७	१९५२	४	बॉम्बे विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९५२।
८	१९५२	१०	बॉम्बे विनियोग अधिनियम, १९५२।
९	१९५२	१८	बॉम्बे (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५२।
१०	१९५३	१	बॉम्बे (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५३।
११	१९५३	६	बॉम्बे विनियोग अधिनियम, १९५३।
१२	१९५३	५१	बॉम्बे (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५३।

१३	१९५४	१३	बॉम्बे (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५४।
१४	१९५४	१७	बॉम्बे विनियोग अधिनियम, १९५४।
१५	१९५४	४९	बॉम्बे (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५४।
१६	१९५५	३	बॉम्बे (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५५।
१७	१९५५	४	बॉम्बे विनियोग अधिनियम, १९५५।
१८	१९५५	११	बॉम्बे विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, १९५५।
१९	१९५५	३३	बॉम्बे (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५५।
२०	१९५५	४१	बॉम्बे विनियोग (द्वितीय अधिक व्यय) अधिनियम, १९५५।
२१	१९५६	४	बॉम्बे (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५६।
२२	१९५६	१४	बॉम्बे विनियोग अधिनियम, १९५६।
२३	१९५६	२५	बॉम्बे विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, १९५६।
२४	१९५६	४४	बॉम्बे (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, १९५६।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र में संविधानिक परिवर्तनों, राज्य पुनर्गठन और नए कानूनों के अधिनियमितकरण के कारण कई अधिनियम अप्रचलित हो गए हैं। हालांकि, इनके संदर्भ अभी भी मौजूद हैं, जिससे अस्पष्टता बनी हुई है। इसलिए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त सभी राज्य कानूनों की जांच करने का कार्य शुरू किया और बॉम्बे अधिनियमों, बॉम्बे विनियमों, बंगाल विनियमों, मध्य प्रांत और बरार अधिनियमों, हैदराबाद अधिनियमों और मध्य प्रदेश अधिनियमों को निरस्त करने का निर्णय लिया है, जो अब उपयोग में नहीं हैं।

इस विधेयक में एहतियाती उपबंध के रूप में कुछ कार्यों को सुरक्षित रखने के उपबंध शामिल हैं, जो आमतौर पर इस प्रकार के विधेयकों में शामिल किया जाता है।

२. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ११ मार्च, २०२६।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १२ मार्च, २०२६।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।